2025 / 266

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40 / 2025 (राजसमन्द डिक्री)

1. रायसिंह पिता स्व. किशनसिंह जाति राजपूत (सोलंकी) निवासी स्वरूपपुरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मनोहर कुंवर बेवा रामसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती रूप कुंवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती पप्पु कुंवर पुत्री रामसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा दिनांक 27.06.2025 प्रकरण
संख्या 141 / 2018 वाद पत्र

———::———

उपस्थित :– 1– श्री फतह लाल बोहरा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री अनिल बागोरा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 5

———::———

निर्णय दिनांक 26–12–2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा स्वरूपपुरा पटवार सर्किल उथनोल तहसील नाथद्वारा के राजस्व खाते में अंकित आराजी

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

संख्या 154, 155, 156 कुल किता–03 कुल रकबा 01 बीघा 07 बिश्वा एवं चाह संख्या 169 रकबा 02 बिश्वा में से एक महीने में से साढे तीन दिन का वारा (ओसरा) यानि 5/36वॉ हक व हिस्सा दिनांक 03.12.1976 स्व. नाहरसिंह पुत्र माधुसिंह राजपूत निवासी स्वरूपपुरा से 9000/–रुपयें में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से मुझ वादी का वास्तविक कब्जा, काश्त होकर काश्त करता आ रहा हूँ। नाहरसिंह पिता माधुसिंह के खानदान का सजरा वादपत्र में अंकित है। क्रय करने के बाद से वादी ने विक्रय पत्र पटवारी को नाम पर दर्ज करने हेतु दिया तो पटवारी हल्का ने म्यूटेशन द्वारा आराजी संख्या 154 रकबा 16 बिश्वा का ही नामान्तकरण दर्ज किया तथा बकाया आराजियात का नामान्तकरण नही खोला एवं असल बेहनामा वादी को लौटा दिया। वादी ने भी बिना जॉच किये हुये घर पर रख दिया और इस संबंध में वादी ने कोई खोजबीन नहीं की कि कितनी आराजियात उसके खाते आई और कितनी रह गई और न हल्का पटवारी ने इस संबंध में जानकारी दी। वादी ने उसके सगे भाई जवानसिंह के नाम पर उसके द्वारा क्रय की गई आराजियात एवं अन्य आराजियात का दान पत्र द्वारा 1/2 हक व हिस्सा देना चाहा तब राजस्व रेकर्ड देखा तो पता चला कि पटवारी हल्का ने कथित विक्रय पत्र में अंकित सभी आराजियात का इन्तकाल नही खोला है तथा केवल मात्र एक आराजी 154 रकबा 16 बिश्वा ही खाते की है तथा दिगर आराजियात 155, 156 किता 02 कुल रकबा 11 बिश्वा एवं चाह संख्या 169 रकबा 02 बिश्वा में से साढे तीन दिन का वारा (ओसरा) 5/36वॉ हक व हिस्सा दर्ज नहीं किया है तथा वादी को इसका ज्ञान प्रथम बार दिनांक 28.03.2018 को तत्काल हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर पता चला है एवं सारी वस्तुस्थिति को समझी है तब वादी ने हल्का पटवारी को विक्रय पत्र के अनुसार म्यूटेशन नहीं खोलकर बहुत गलती की है और हल्का [illegible] न्यायालय में दावा पेश कर दो तब वादी को घोष[illegible] आराजियात 155 एवं 156 किता 02 कुल [illegible] संख्या 169 में से 5/36वॉ हक व हिस्सा दर्ज कराने का कार[illegible]दा हुआ है। प्रतिवादीगण के नाम उक्त आराजियात में से आराजी संख्या 155, 156 कुल रकबा 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

बिश्वा एवं चाह संख्या 169 रकबा 02 बिश्वा में से 5/36वॉ हक व हिस्सा विरासत से दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हुआ है क्योंकि इसमें पटवारी हल्का ने बहुत बडी गलती की है जिसकी सजा भुगत रहा हूँ, इसलिये वादी उक्त आराजियात को विक्रय पत्र के आधार से खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एव प्रतिवादीगण के विरूद्व घोषणात्मक खातेदारी अधिकारों की डिक्री जारी फरमावें कि मोजा स्वरूपपुरा पटवार क्षेत्र उथनोल के राजस्व रेकर्ड की आराजी संख्या 155 रकबा 07 बिश्वा, 156 रकबा 04 बिश्वा एवं चाह संख्या 169 रकबा 02 बिश्वा में से एक माह में से साढे तीन दिन का वारा ओसरा यानि 5/36वॉ हक व हिस्से के खातेदार है तथा प्रतिवादीगणों का नाम उक्त आराजियात एवं चाह नम्बर के हक व हिस्से से निरस्त फरमावें तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि प्रतिवादीगण उक्त आराजियात के रहन, बेह, बक्षीश नही करें न करावें एवं खुर्द बुर्द नही करे न करावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.06.2025 को निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद कुसंयोजन एवं असंयोजन से प्रभावित होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 11.07.2025 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] 154 रकबा 16 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के खाते में होना [illegible] पर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का लेश मात्र भी जि[illegible] न्यायालय ने आ.चा. नम्बर 169 में अंकित रेस्पोडेन्ट का 5/36वॉ हिस्से के संबंध में पक्षकारों के संयोजन एवं कुसंयोजन की बात को लेकर वाद निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

किया है, जो कानूनी तथ्यों के विपरित है, क्योकि आवश्यक पक्षकारों के तथ्य विभाजन के बाद में ही देखे जाने चाहिए न कि घोषणा के बाद में। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावें तथा आराजी नम्बर 155 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 156 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 11 बिस्वा एवं आ.चा. नम्बर 169 रकबा 2 बिस्वा में से ओसरा यानि 5/36वॉ हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

5. विद्धान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नही होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादी द्वारा आराजी नम्बर 155, 156 के साथ–साथ चाह नम्बर 169 की भी खातेदारी की मांग की है, किन्तु आराजी चाह नम्बर 169 रकबा 2 बिस्वा के सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी चाह नम्बर 169 के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर वादी का वाद कुसंयोजन एवं असंयोजन से प्रभावित होना मानकर वादी का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते है।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन अतिरिक्त अपर आयुक्त
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर............
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस. ....

रायसिंह पिता स्व. किशनसिंह राजपूत (सोलंकी) निवासी स्वरूपपुरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

बनाम

श्रीमती मनोहरकुंवर बेवा रामसिंह राजपूत, निवासी स्वरूपपुरा, तह. नाथद्वारा, जि. राजसमन्द व अन्य

अपील नं........40 / 2025............व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी........
...........नाथद्वारा........... मुकाम..................मुवर्खे.............27..............माह.............06............2025

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........26.......माह.......12........सन् 2025 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी.....श्री फतेह लाल बोहरा.....मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री अनिल बागोरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2025 यथावत रखी है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें ।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........26......माह.........12............2025 को जारी किया गया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

26.12.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... . 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील ... जारी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:10 IST
Reason: SelfAttested